संख्या 1934/XXX (2)/2004

प्रेषक,

डॉ० आर०एस० टोलिया,
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तरांचल शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तरांचल।
4. जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 16 नवम्बर 2004

विषयः– **लोक सेवकों के मनोबल को बनाये रखने हेतु उनकी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायः लोक सेवाओं में कार्यरत लोक सेवक अपनी सेवा के जायज समस्याओं को सक्षम स्तर पर अभिव्यक्ति न कर पाने के कारण तनाव का अनुभव करते हैं। ऐसी समस्याऐं सामान्यतः श्रेष्ठता क्रम में होने के बावजूद भी पदोन्नति से वंचित होना तथा कार्य का वातावरण सौहार्दपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्वक न होने से उत्पन्न होती है। जिसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

2– अतः इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक विभाग में विभागाध्यक्ष स्तर पर, मण्डलस्तर पर, जनपद स्तर पर तथा ब्लाक स्तर पर स्थित प्रत्येक कार्यालय में अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्य देखने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक कार्य दिवस में एक समय ऐसा निर्धारित करेंगे जिसमें सम्बन्धित लोक सेवक अपनी जायज समस्याओं से उन्हें अवगत करायेंगे। सम्बन्धित अधिष्ठान अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऐसे समस्त लोक सेवकों की जायज समस्याओं को एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे और उसका निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करेंगे तथा प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में ऐसी समस्त कार्यवाही से कार्मिक विभाग को अवगत करायेंगे।

3– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० आर०एस० टोलिया)
मुख्य सचिव।